तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टीए/8536/ 2004/टोंक** **रामदेव बनाम बरजी**	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09.12.2024	**<u>खण्ड–पीठ</u>** **श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष** **श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री अजीतसिंह राठोड़ अभिभाषक अपीलांट। श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट **<u>निर्णय</u>** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनिरयम की धारा 225 के अन्तर्गत विद्धान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक की मूल अपील सं0 94/95 में पारित निर्णय दिनांक 12–03–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र सं0 128/2004 में पारित निर्णय दिनांक 03–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– मामले के तथ्यों के अनुसार मु0 बरजी वगैरा ने अपने आपको पोखर के वारिसान बताते हुए प्रतिवादी छीतर आदि के विरूद्ध एक दावा इस्तकरारहक व तकासमा बाबत् उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त दावे में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जो दावा दिनांक 26–09–1995 को वाद सं0 33/95 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज किया गया जिसके विरूद्ध वादीगण/रेस्पो0 के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण/अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश दिनांक 20–11–1995 को जारी किये गये। दिनांक 26–01–1996 को न्यायालय के रीडर द्धारा सम्मन प्रस्तुत होने पर जारी किया जाना दर्शित होता है क्योंकि उस दिन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने पर रिलीव हो चुके थे और रीडर द्धारा रेस्पो0 के सम्मन प्रस्तुत करने पर जारी होने के आदेश जारी किये गये। इसके पश्चात् दिनांक 24–07–1996 को रेस्पो0 सं0 1 ल0 4 को सम्मन चस्पानगी से तामील होना माना गया जबकि उस दिन की आदेशिका के मुताबिक पीठासीन अधिकारी स्थानान्तरण से रिलीव हो चुके थे। फिर उसके बाद दिनांक 11–10–1996 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। इस प्रकार न तो पीठासीन अधिकारी द्धारा चस्पानगी से तामील करवाने के आदेश पारित किये गये और न ही चस्पानगी से तामील बिना आदेश के करवाये जा सकते थे। उसके पश्चात् एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्धारा दिनांक 12–03–1997 को रेस्पोडेन्ट/वादीगण की अपील स्वीकार कर वाद को डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 सी0पी0सी0 का दिनांक 04–11–2004 को अपीलांट की	

ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा दिनांक 03–12–2004 को कर दिया गया और उसमें यह निष्कर्ष दिया कि मूल निर्णय दिनांक 12–03–1997 की अपील राजस्व मण्डल को की जानी चाहिए थी जो प्रस्तुत नहीं की गयी और आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 21 सी0पी0सी0 को अपील मानते हुए देरी को माफ ना कर मैरिट पर भी केस उचित नहीं पाते हुए यह निष्कर्ष देते हुए कि राजस्व अपील प्राधिकारी के दिनांक 12–03–1997 के आदेश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पोषणीय न मानकर खारिज कर दिया।

3– आदेश 41 नियम 21 में यह प्रावधान विहित है कि ''जहां अपील में एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है वहां यदि प्रत्यर्थी द्धारा पुनः सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण मौजूद है तो अपील को पुनः सुना जाना चाहिए।'' मूल अपील की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत की है जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलांट को तामील पर्याप्त नहीं हुई थी और न ही चस्पानगी का कोई आदेश था और चस्पानगी से तामील होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 सी0पी0सी0 को जिन निष्कर्षो के साथ खारिज किया है, वह निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं है।

4– अतः अपील अपीलांट विरूद्ध आदेश दिनांक 03–12–2004 स्वीकार कर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04–11–2004 स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्धारा मूल अपील सं0 94/95 निर्णय दिनांक 12–03–1997 को अपास्त कर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करते हुए पुनः अपील सं0 94/95 का विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5– पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
(अध्यक्ष)